UPBJ010017222021

न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट नंबर–03, बिजनौर।
पीठासीन अधिकारीः– श्री हनी गोयल, उच्चतर न्यायिक सेवा. UP02408

लघुवाद संख्याः– 02/2021

मृदुल निवास आदि बनाम मै0 मुथूट फाईनेन्स लि0

05–10–2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र ग–43 पर सुना।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र ग–43 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद में वादी सं0 2 पुरूषोत्तम निवास की मृत्यु दिनांक 17–06–2023 को हो गयी है इसलिये उनके वारिसान प्रतिस्थापित कराने हेतु वाद में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी कथन किया गया है कि वाद पत्र के प्रस्तर सं0 14 के बाद प्रस्तर सं0 14'अ' प्रार्थना पत्र में लिखा तहरीर फरमाये जाने के आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध प्रतिवादी की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग–43 में वर्णित तथ्यों के अनुसार दौरान वाद, वादी सं0 2 पुरूषोत्तम निवास की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसान की ओर से प्रार्थना पत्र कायमी वारिसान कागज सं0 ग–43 प्रस्तुत किया गया है तथा वाद पत्र के पैरा सं0 14 में प्रार्थना पत्र मे वर्णित आवश्यक संशोधन पैरा सं0 14'अ' के रूप में तहरीर कराने की याचना की गयी है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र के विरूद्ध कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है। उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति नहीं बदलती है। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

अतः न्यायहित में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र ग–43 स्वीकार किये जाने योग्य है।

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2023.10.05 16:31:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र ग–43 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र ग–43 कायमी वारिसान में चाहा गया आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह किया जाये। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 03–11–2023 को पेश हो।

(हनी गोयल)

दिनांकः 05–10–2023

अपर जिला जज, कोर्ट नं0–3,
बिजनौर।